बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 314111 पटना, दिनांक 16-06-2017

ग्रा0वि07(नि0)-01/2017

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में चहारदीवारी निमार्ण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - का0आ0 973(अ) दिनांक 27 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत भारत सरकार के राजपत्र में गाँवों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में मनरेगा अंतर्गत दीवार परिसरों का संनिर्माण को भी अनुमेय कार्य में सम्मिलित किया गया है ।

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है ।

<u>अनु0- यथोक्त ।</u>

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 314111 **पटना/दिनांक** 16-06-2017

ग्रा0वि07(नि0)-01/2017

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

<u>अनु0- यथोक्त ।</u>

संयुक्त सचिव

(6)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/ चैत्र 7, 1939
No. 869] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 973(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 के उपपैरा (1) में,—

(क) मद (1) के उपमद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :—

(iv) पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत सिंचाई तालाबों और अन्य जल निकायों से गाद निकालना तथा पुराने सीढ़ीदार कुंओं या बावडियों का संरक्षण है ;

(ख) मद (5) के उपमद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :—

(iii) गांवों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में खेल के मैदानों, दीवार परिसरों का संनिर्माण ।

[फा. सं. जे-11011/02/2016-एमजीएनआरईजीए (आरई-I)]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची (1) का पहला संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

1. का.आ. 88(अ), तारीख 14 जनवरी, 2008
2. का.आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का.आ. 3000(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008
4. का.आ. 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
5. का.आ. 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2009
6. का.आ. 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011
7. का.आ. 2202(अ), तारीख 22 सितंबर, 2011
8. का.आ. 2423(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2011
9. का.आ. 1022(अ), तारीख 4 मई, 2011
10. का.आ. 2754(अ), तारीख 21 नवंबर, 2012
11. का.आ. 164(अ), तारीख 14 जनवरी, 2013
12. का.आ. 867(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2013
13. का.आ. 1770(अ), तारीख 20 जून, 2013
14. का.आ. 3423(अ), तारीख 11 नवंबर, 2013
15. का.आ. 19(अ), तारीख 3 जनवरी, 2014
16. का.आ. 1888(अ), तारीख 21 जुलाई, 2014
17. का.आ. 2182(अ), तारीख 23 जून, 2016

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2017

S.O. 973(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely :—

In the said Act, in Schedule I, in paragraph 4, in sub-paragraph (1), -

(a) in item (I), for sub-item (iv), the following sub-item shall be substituted, namely:—

(iv) renovation of **traditional water bodies** including desilting of irrigation tanks and other water bodies and ***conservation of old step wells or baolis***;

(b) in item (iv), for sub-item (iii), the following sub-item shall be substituted, namely:—

(iii) construction of ***play fields and compound walls for Government run schools in the villages.***

[F. No. J-11011/02/2016-MGNREGA (RE-I)]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.

Note : Schedule I to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended *vide* number S.O. 323(E), dated 6th March, 2007 and subsequently amended *vide* following numbers:—

1. S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
5. S.O. 1860(E), dated the 30th July, 2009
6. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011
7. S.O. 2202(E), dated the 22nd September, 2011
8. S.O. 2423(E), dated the 21st October, 2011
9. S.O. 1022(E), dated the 4th May, 2011
10. S.O. 2754(E), dated the 21st November, 2012
11. S.O. 164(E), dated the 14th January, 2013
12. S.O. 867(E), dated the 1st April, 2013
13. S.O. 1770(E), dated the 20th June, 2013
14. S.O. 3423(E), dated the 11th November, 2013
15. S.O. 19(E), dated the 3rd January, 2014
16. S.O. 1888(E), dated the 21st July, 2014
17. S.O. 2182(E), dated the 23rd June, 2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.30 15:06:58 +05'30'